



उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा—2022

आन—लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :— 10/12/2022

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :— 06/01/2023

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि :—10/01/2023

महत्वपूर्ण

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचना:—(क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन ‘Submit’ करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।”

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं० और मान्य ई—मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं० पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा ई—मेल उनके ई—मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे।

आन—लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ‘आन—लाइन’ आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन—लाइन आवेदन ही करें।

“आन—लाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:—

1—आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर “ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENTS स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:—

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को आन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “Apply” पर Click करें।

“आन—लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:—

प्रथम स्तर— Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो “Edit” button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर— प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर “Click here to proceed for payment” कैप्शन के साथ ‘Fee to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् “Payment Acknowledgement Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा। इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर— द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् ‘Proceed for final submission of application form’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट—1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “PREVIEW” को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही—सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही—सही निर्देशानुसार आन—लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक

है। यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। **अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।**

2. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन— आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन submit करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु एक अवसर अनुमत्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

“अभ्यर्थी को Candidate Segment में ‘Online Application process’ के अन्तर्गत ‘Modify Submitted Application’ को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी। तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का Authentication OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् ‘Proceed’ बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमत्य होगी।”

नोट: आनलाइन आवेदन के जांचोपरान्त यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र Submit किया है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा Submit अन्तिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जायेगा एवं शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेंगे। चूंकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व प्रस्तर में विहित है अतः इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आवेदन शुल्क— आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:—

- | | |
|---|---|
| (i) अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | — परीक्षा शुल्क ₹ 100/— + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/— योग = ₹ 125/— |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | — परीक्षा शुल्क ₹ 40/— + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/— योग = ₹ 65/— |
| (iii) दिव्यांगजन | — परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/— योग = ₹ 25/— |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक | — परीक्षा शुल्क ₹ 40/— + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/— योग = ₹ 65/— |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला | — अपनी मूल श्रेणी के अनुसार |

4. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ०प्र० लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा—2022 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन के परिशिष्ट—2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई—प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियाँ— वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 303 है। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है। पद—समूह “ख”, राजपत्रित, अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है:—

ऊर्ध्वाधर	क्षैतिज
अनारक्षित (सामान्य वर्ग) — 123	भूतपूर्व सैनिक — 15
ओ०बी०सी० — 81	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित — 06
अनु०जाति — 63	महिला — 60
अनु०जनजाति — 06	दिव्यांगजन — 12
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग— 30	नोट:— उ०प्र० न्यायिक सेवा नियमावली, 2001

<p>में संशोधन विषयक अधिसूचना सं.– 781 / दो–4–2022–45(32) / 2006, दिनांक 07 नवम्बर, 2022 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2022 के अनुसार चार प्रतिशत रिक्तियां मानक दिव्यांगता वाले निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जायेंगी, अर्थात्:–</p> <p>(एक) चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) की श्रेणी के अधीन एक प्रतिशत निम्नलिखित श्रेणी वाले दिव्यांगजनों के लिये:– कुल पद– 03 + 01 = 04 पद</p> <p>(क) एक भुजा, एक पैर और दोनों पैरों की चलन क्रिया सम्बन्धी दिव्यांगता;</p> <p>(ख) कुछ उपचारित व्यक्ति;</p> <p>(ग) बौनापन;</p> <p>(घ) एसिड अटैक पीड़ित;</p> <p>(दो) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) ‘दृष्टिह्रास’ श्रेणी के अधीन ‘निम्न दृष्टि’ वाले व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत; कुल पद– 03 + 01 = 04 पद</p> <p>(तीन) (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के संलग्न अनुसूची में यथा परिभाषित) ‘श्रवण शक्ति का ह्रास’ श्रेणी के अधीन ‘ऊँचा सुनने वाले’ व्यक्तियों के लिये एक प्रतिशत; कुल पद– 03 + 01 = 04 पद</p> <p>(चार) चक्रानुक्रम के आधार पर खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये शेष एक प्रतिशत; कुल पद– 03 पद, जिन्हें उपरोक्त श्रेणियों में 01–01–01 पद आवंटित किया गया है।</p> <p>स्पष्टीकरण:– उक्त केन्द्रीय अधिनियम की धारा– 34 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) और (ङ) में उल्लिखित मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिये तात्पर्यित रोस्टर बिन्दु ऊपर उल्लिखित श्रेणियों (एक) से (तीन) में अभ्यर्थियों के लिये उसी क्रम में आवंटित किये जायेंगे:</p> <p>परन्तु यह और कि निम्नलिखित शारीरिक क्रिया कलाप करने में समर्थ अभ्यर्थी ही पात्र हैं:</p> <p>(क) बैठकर निष्पादित कार्य;</p> <p>(ख) खड़े होकर निष्पादित कार्य;</p> <p>(ग) चलकर निष्पादित कार्य;</p> <p>(घ) देखकर निष्पादित कार्य;</p> <p>(ङ) श्रवण कर निष्पादित कार्य;</p> <p>(च) लिख और पढ़कर निष्पादित कार्य;</p> <p>(छ) संसूचित करना (संसूचना के अन्तर्गत मौखिक या गैर मौखिक संसूचना सम्मिलित है)।</p>	<p>01 जुलाई, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों / कमीशन प्राप्त अधिकारियों / भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके द्वारा सेना में की गई कुल सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर अनुमन्य होगी। उ0प्र0 के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी दिव्यांगजन के लिए शासनादेश दिनांक 03.02.2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष शिथिलनीय होगी अर्थात् उनका जन्म 02.07.1973 से पूर्व नहीं होना चाहिए।</p> <p>उ.प्र. न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2003 दिनांक 19 मार्च, 2003 के नियम–10 के प्राविधानानुसार (1) जो अभ्यर्थी परीक्षा वर्ष 2019, 2020, एवं 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु में पात्र थे उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र समझा जायेगा। (2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की संख्या अधिकतम चार है।</p> <p>उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 एवं अधियाचनानुसार सरकारी कर्मचारी प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं किन्तु उन्हें कोई छूट अनुमन्य नहीं है।</p> <p>“मा0 न्यायालय ने उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 आयु सीमा नियमावली (दसवां संशोधन) 2012 के अन्तर्गत उच्च आयु सीमा 35 से 40 वर्ष अंगीकार नहीं किया है।”</p> <p>11. महत्वपूर्ण निर्देश: (1) किसी भी प्रकार से अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र समयान्तर्गत होने के बावजूद सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। (2) आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिए की गयी है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या– 22 / 10 / 1976 –का–2–85, दिनांक 30–01–85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं– (क) ऐसे आवेदकों को थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा अवधि पुनर्वास के लिए बढ़ाई गयी है तथा उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं है। (ख) ऐसे आवेदकों को अपने आवेदन पत्र के साथ यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिए जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तुरन्त अवमुक्त करा लेंगे। आपातकालीन / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी यदि (अ) उन्हें सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। (ब) वह त्यागपत्र देकर सैन्य सेवा से अवमुक्त हुआ हो (स) वह सैन्य सेवा में कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेयुटी प्रदान की गई हो। आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने की अंतिम तिथि तक शैक्षिक योग्यता / पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है। (3) चरित्र:– सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह राज्यपाल की राय में सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। संघ सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत या भारतीय या किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय से विवर्जित किया गया या नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध और कारावास के लिए दंडादिष्ट कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। (4) वैवाहिक प्रास्थिति:– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। (5) शारीरिक स्वस्थता:– किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करे। (6) केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के लिए आहूत किये जायेंगे, जो प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा एतदर्थ निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे। उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रादि भरने होंगे तथा मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क भी जमा करना होगा, जो निम्नवत् होगा:– अनारक्षित अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 200 / – एवं आन– लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 / – = ₹ 225 / – तथा उ0प्र0 के अनु0जाति एवं उ0प्र0 के अनु0 जनजाति के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 80 / – एवं आन– लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 / – = ₹ 105 / – निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क ₹ 80 एवं आन लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 = ₹ 105 / – तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं महिला अभ्यर्थी शुल्क अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु दिव्यांगजन केवल आन–लाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25 / – ही जमा करेंगे। (7) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र / अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा अंकपत्र / प्रमाण पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (8) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अंतिम शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो सादे फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा। (9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। (10) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के परिशिष्ट–4 में उल्लिखित परीक्षा योजना व परिशिष्ट–5 में अंकित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के मामले में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। (11) आयोग आवेदन पत्रों की सरसरी तौर पर जांच करके अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाए जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा यदि पद हेतु चुन लिया गया है तो भी आयोग अपनी संस्तुतियाँ वापस ले सकते हैं। (12) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा अपने अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त</p>
--	--

करने में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। **(13)** मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में सफल अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षा (साक्षात्कार) में सम्मिलित होना अनिवार्य है। **(14)** आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नं०, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। **(15)** मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रारम्भिक परीक्षा में 1:10 के अनुपात में अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे और साक्षात्कार हेतु 1:3 के अनुपात में सफल घोषित किये जायेंगे। **(16)** याचिका सं० (सी) 165 / 2005 संजय सिंह बनाम उ०प्र० लोक सेवा आयोग व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय के संवीक्षणानुसार माडरेशन सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। **(17)** उ०प्र० लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है। **(18)** आन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डेमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। गलत / भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार / संशोधन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा। **(19)** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। **(20)** समाज के दिव्यांगजन को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी / विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किये गये पदों पर दिव्यांग की उपश्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **(21)** आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है। **(22)** परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवांटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **(23)** आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। **(24)** ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। **(25)** अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। **(26)** परीक्षा के समय अभ्यर्थी OMR Answer Sheet एवं उपस्थिति पत्रक पर मांगी गयी सूचना एवं सभी प्रविष्टियाँ सही-सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। उत्तर-पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाएगा। **(27)** OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे। **(28)** प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:—**1.** प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1 / 3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा। **2.** यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा। **3.** यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा। **(29)** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक / मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक / मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता / चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे। **(30) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों / अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक / मुख्य / स्क्रीनिंग परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ / रियायत न लिया गया हो। (31) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी / कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।**

सामान्य अनुदेश

- अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।
- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'SUBMIT' बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन

में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर **(परिशिष्ट-3)** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी / आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों तथा दिव्यांगजन को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण / आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र / पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री / पुत्री की पुत्री, विवाहित / अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453 / 79-वि-1-15-1(क)-14-2015 दिनांक 7.4.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन / आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बॉक्स' से अपनी कठिनाई / समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1** में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची **परिशिष्ट-2** पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना **परिशिष्ट-3** पर उपलब्ध है। इसी प्रकार परीक्षा की योजना **परिशिष्ट-4** पर तथा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows Information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, ExArmy, service duration and physical deformity.

Education & Experience Details

It show educational and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using "Back" button the details can be Modified.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT
NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS
All Notifications / Advertisements

ONLINE FORM SUBMISSION	<div>परिशिष्ट-3</div> <div>उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र</div> <div>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपत्री श्री निवासी ग्राम तहसीलनगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री / श्रीमती / कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यता रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी</div> <div>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र</div> <div>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारीतथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर .. जिला में सामान्यतया रहता है। स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार</div> <div>(प्रपत्र-I)</div> <div>उत्तर प्रदेश सरकार</div> <div>कार्यालय का नाम</div> <div>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र</div> <div>प्रमाण पत्र संख्या- दिनांक-</div> <div>वित्तीय वर्ष के लिए मान्य</div> <div>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिनकोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट। III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। 2. श्री / श्रीमती / कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है। <div>आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ</div><div>हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।</div><div>(प्रपत्र-II)</div><div>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र</div><div>स्वयं घोषणा पत्र</div><div>मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक</div></div>
<div>परिशिष्ट -1</div> <div>The Procedure relating to upload Photo & Signature.</div> <div>Guide Lines for Scanning Photograph with Signature</div> <div>1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signatue Space provided. Ensure that the signature is within the box,. 2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page. 3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. 4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. 5. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning. 6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. 7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. 8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.</div> <div>Sample Image & Signature:-</div> <div><div><div>width = 3.5 cm</div><div>Photo</div><div>Signature</div><div>1.5 cm Height = 4.5 cm</div></div></div> <div>परिशिष्ट-2</div> <div>जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं :- प्रयागराज, लखनऊ, आगरा व मेरठ।</div>	

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट:

यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप—4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश

राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा/खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण—पत्र डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट:

यह प्रमाण—पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट—4

परीक्षा की योजना

प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमशः तीन चरण होंगे यथा: (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) एवं (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

परिशिष्ट—5

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र—प्रथम

समय: 2 घंटे

अंक—150

सामान्य ज्ञान

इस प्रश्न—पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध), 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न—पत्र सम्मिलित हैं।

इन प्रश्न—पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र—द्वितीय

समय: 2 घंटे

अंक—300

विधि

इस प्रश्न पत्र में भारत में तथा विश्व में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र में हो रही प्रतिदिन की घटनाएं, अधिनियम एवं विधियों पर आधारित प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) विधि शास्त्र

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

(iii) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रकरण

(iv) भारतीय संविधान

(v) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम

(vi) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(vii) भारतीय दंड संहिता

(viii) सिविल प्रक्रिया संहिता

(ix) आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(x) संविदा विधि

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज

(जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या—1 सामान्य ज्ञान

अंक—200

“सामान्य ज्ञान” का एक प्रश्न—पत्र होगा।

इस प्रश्न—पत्र में भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध), 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के मुख्य बातों के विशेष सन्दर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों/बालिकाओं से सम्बन्धित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न—पत्र सम्मिलित हैं।

इन प्रश्न—पत्रों की प्रकृति और स्तर ऐसा होगा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट अध्ययन के उनके उत्तर दे सकने में सक्षम होगा।

प्रश्न पत्र संख्या—2 अंग्रेजी भाषा :—

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।

(1) निबन्ध

— 50 अंक

(2) सारांश लेखन

— 30 अंक

(3) हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद

— 20 अंक

प्रश्न पत्र संख्या—3 हिन्दी भाषा :—

यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। इसमें नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार से 03 (तीन) प्रश्न समाविष्ट होंगे।

(1) निबन्ध

— 50 अंक

(2) सारांश लेखन

— 30 अंक

(3) अंग्रेजी गद्यांश का हिन्दी में अनुवाद

— 20 अंक

प्रश्न पत्र संख्या—4 विधि—1 (मौलिक विधि) :—

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:—

संविदा विधि, साझेदारी विधि, सुविधा अधिकार और अपकृत्यों सम्बन्धी विधि, सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित विधि जिसमें विशेषकर उस पर लागू साम्या के सिद्धान्त सम्मिलित होंगे। न्याय एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष का विधि के विशेष संदर्भ में साम्या के सिद्धान्त, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संवैधानिक विधि।

50 अंकों के प्रश्न केवल संवैधानिक विधि के सम्बन्ध में होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या—5 विधि—2 (प्रक्रिया एवं साक्ष्य) :—

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। दिये गये प्रश्न निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक ही सीमित होंगे:—

साक्ष्य विधि, दण्ड प्रक्रिया—संहिता और अभिवचन के सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता। दिये गये प्रश्न मुख्यतया व्यावहारिक मामलों से सम्बन्धित होंगे, जैसे कि सामान्यतः आरोपों और वाद—बिन्दुओं की विरचना, गवाहों के साक्ष्यों के साथ व्यवहार की विधियां, निर्णयों का लेखन और वादों का संचालन, किन्तु उन्हीं तक सीमित नहीं होंगे।

प्रश्न पत्र संख्या—6 विधि—3 (दण्ड, राजस्व और स्थानीय विधियाँ) :—

यह प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। प्रश्न समुच्चय निम्नलिखित द्वारा आच्छादित क्षेत्र तक सीमित होंगे:—

भारतीय दंड संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगरीय (नियोजन और विकास) अधिनियम, 1973 और साथ ही साथ पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ।

स्थानीय विधियों के प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होंगे। दण्ड विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 50 अंकों के होंगे, जबकि राजस्व और स्थानीय विधियों से सम्बन्धित प्रश्न 150 अंक के होंगे।

6. साक्षात्कार:—

साक्षात्कार 100 अंकों का होगा

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण, उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक, ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जायेगा।

स्पष्टीकरण

—अभ्यर्थी के लिए सामान्य ज्ञान और विधि प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा।

टिप्पणी

—(1) साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों को लिखित प्रश्न पत्रों में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी का स्थान दोनों के कुल योग पर निर्भर करेगा।

(2) किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाने से इन्कार करने का अधिकार आयोग को है जिसने विधि प्रश्न पत्रों में इतने अंक प्राप्त न किये हों, जो उसके द्वारा ऐसे इंकार को न्यायोचित ठहरायें।

सचिव